

अध्याय II

सरकारी लेखापरीक्षण में सामान्य मानक

1. प्रस्तावना

1.1 यह खंड सरकारी लेखापरीक्षण में सामान्य मानकों से सम्बन्धित है। सामान्य लेखापरीक्षण मानकों में लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षण संस्था की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है ताकि वे एक दक्ष तथा प्रभावी तरीके में क्षेत्रीय तथा रिपोर्टिंग मानकों से सम्बन्धित कार्य कर सकें।

1.2 सामान्य लेखापरीक्षण मानकों में वे मानक शामिल हैं जो लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा संस्थाओं दोनों पर लागू होते हैं और वे मानक जो लेखापरीक्षा संस्थाओं पर लागू होते हैं। लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा संस्थाओं के लिए सामान्य मानक निम्नवत् हैं :

- (क) लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा संस्थाएं स्वतंत्र होनी चाहिए।
- (ख) लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा संस्थाओं के पास आवश्यक क्षमता होनी चाहिए।
- (ग) लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा संस्थाओं को इन लेखापरीक्षण मानकों का अनुपालन करने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दिलचस्पी लेनी चाहिए। इसमें साक्ष्य की आयोजना, विनिर्देशन करने, एकत्र करने और मूल्यांकन करने में और परिणाम, निष्कर्ष तथ सिफारिशों की रिपोर्टिंग करने में उचित सावधानी शामिल है।

1.3 लेखापरीक्षा संस्थाओं के लिए सामान्य लेखापरीक्षण मानक वे हैं कि उन्हें निम्न के प्रति नीतियां और कार्यविधियाँ अपनानी चाहिए

- (क) उपयुक्त योग्यता वाले कार्मिक भर्तीकरना
- (ख) कर्मचारियों को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में समर्थ बनाने के लिए उनका विकास करना तथा प्रशिक्षण देना और लेखापरीक्षकों तथा अन्य स्टाफ की प्रोन्नति के लिए आधार निर्धारित करना।
- (ग) लेखापरीक्षा करने सम्बन्धी नियमपुस्तकें और अन्य लिखित निर्देशन टिप्पणियाँ और अनुदेश तैयार करना।
- (घ) लेखापरीक्षा संस्थाओं में उपलब्ध निपुणता तथा अनुभव में सहायता प्रदान करना और उन निपुणता का पता लगाना जो उनमें नहीं हैं, लेखापरीक्षण कार्यों के लिए निपुणता का अच्छा वितरण मुहैया कराना और लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्ति देना और उचित सावधानी तथा दिलचस्पी से अपेक्षित स्तर पर अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उचित आयोजना तथा पर्यवेक्षण करना।
- (ड.) आंतरिक मानकों और कार्यविधियों की दक्षता ओर प्रभावकारिता की समीक्षा करना।

2. स्वतंत्रता

2.1 लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा संस्थाओं के लिए सामान्य मानकों में विधायिका से स्वतंत्रता, कार्यपालिका से स्वतंत्रता और लेखापरीक्षित संस्था से स्वतंत्रता शामिल हैं।

- सरकार का प्रकार कुछ भी हो लेखापरीक्षा में स्वतंत्रता और विषयनिष्ठता की आवश्यकता अनिवार्य है। सरकार की विधायी तथा कार्यकारी शाखा दोनों से स्वतंत्रता की पर्यास डिग्री लेखापरीक्षा करने तथा इसके परिणामों की प्रत्येयता के लिए आवश्यक हैं।
- विधायिका लेखापरीक्षा सेवाओं के मुख्य उपयोक्ताओं में से एक ३। ऐसा रिपोर्टिंग करना होता है। साई लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करने के लिए विधायिका के साथ निकटता से कार्य करता है जिसमें विधायिका द्वारा शक्ति प्रदत्त समितियां शामिल हैं।

- साई विधायिका के सदस्यों को लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर वास्तविक विवरण दे सकता है परन्तु यह महत्वपूर्ण है कि साई अपने लेखापरीक्षा उत्तरदायित्वों के प्रति एक निष्पक्षधारणा बनाए रखने के लिए राजनैतिक प्रभाव से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखता है। इसका निहितार्थ है कि साई विशेष राजनैतिक हितों के प्रति प्रतिक्रियाशील न हो न ही इसका प्रतिक्रियाशील होना प्रतीत हो।
- जबकि साई को विधायिका द्वारा अधिनियमित विधि का पालन अवश्य करना चाहिए तथपि पर्यास स्वतंत्रता में यह अपेक्षित है कि कार्यक्रम बनाने, आयोजना और लेखापरीक्षा करने में यह विधायिका द्वारा निर्देशों के अन्यथा अध्यधीन नहीं है। साई को अपने अधिदेश के अनुसार वरीयताओं को नियत करने और अपने कार्य का कार्यक्रम बनाने और की जाने वाली लेखापरीक्षा के लिए उपयुक्त कार्यप्रणालियों को अपनाने के लिए आज़ादी की आवश्यकता है।
- यह अनिवार्य है कि विधायिका साई को पर्यास संसाधान मुहैया कराती है जिसके लिए साई अपने अधिदेश के प्रभावी प्रयोग के अतिरिक्त

जवाबदेह है। जबकि साई के कार्यालय का व्यय समेकित निधि को प्रभारित किया जाता है तथापि भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के अन्य कार्यालयों पर व्यय केन्द्रीय विधानमंडल के वोट के अध्यधीन होता है।

- सरकार की कार्यकारी शाखा तथा साई के सार्वजनिक जवाबदेही को प्रोन्नत करने में कुछ सामान्य हित हो सकते हैं। परन्तु कार्यकारिणी के साथ आवश्यक सम्बन्ध एक बाह्य लेखापरीखक का है। इस प्रकार साई को रिपोर्ट प्रशारसन में त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित करके तथ सुधारों की सिफारिश करके कार्यकारिणी की सहायता करती है। कार्यकारिणी के ऐसे कार्यों में भाग लेने से बचने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए जो साई की स्वतंत्रता और उसके अधिदेश के निर्वहन में विषयनिष्ठता के प्रतिकूल विरोध करें।
- साई की स्वतंत्रता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अपने अधिदेश में साई के निष्पादन के सम्बन्ध में कार्यकारी द्वारा निर्देशों की कोई शक्ति नहीं होनी चाहिए। साई को लेखापरीक्षा करने, उसमें आशोधन करने या इसे न करने के या लेखापरीक्षा परिणामों, निष्कर्षों और सिफारिशों को छिपाने या आशोधन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना होता है।
- कुछ क्षेत्रों में साई और कार्यकारिणी के बीच सहयोग की डिग्री वांछनीय होती है। साई को ऐसे मामलों जैसेकि लेखांकन मानकों ओर नीतियों और वित्तीय विवरणों के प्रकार में कार्यकारी को परामर्श देने के लिए तैयार रहना चाहिए। साई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा परामर्श देने में ऐसी किसी सुस्पष्ट या विवक्षित बचनबद्धता का परिहार करे जो उसके लेखापरीक्षा अधिदेश के स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में क्षति पहुंचाए।

- साई की स्वतंत्रता का बनाए रखना लेखापरीक्षा के लिए मामलों का प्रस्ताव करते हुए कार्यकारिणी द्वारा साई को अनुरोध करने से नहीं रोकता। परन्तु यदि इसे पर्याप्त स्वतंत्रता का लाभ उठाना होता है तब साई को किसी ऐसे अनुरोध को अस्वीकार करने में समर्थ होना चाहिए। साई की स्वतंत्रता की संकल्पना के लिए यह मूलतत्व है कि कार्यक्रम वाले लेखापरीक्षा कार्यों के प्रति निर्णय अंत में साई द्वारा किए जाने चाहिए।
- साई और कार्यकारिणी के बीच सम्बन्ध में एक संवेदनशील क्षेत्र साई को संसाधनों के प्रावधानों से सम्बन्धित है। बदलते हुए दर्जों में, जोकि संवैधानिक और सांस्थानिक अंतर दर्शाए, साई के संसाधन प्रावधान के लिए व्यवस्थाएं सरकार की कार्यकारी शाखा की वित्तीय स्थिति और सामान्य व्यय नीतियों से सम्बन्धित हो सकती हैं। उसके प्रति सार्वजनिक जवाबदेही के प्रभावी विकास में यह अपेक्षा की जाती है कि साई को पर्याप्त संसाधन मुहैया कराए जाएं ताकि यह एक उचित तरीके से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में समर्थ हो सके।
- कार्यकारिणी द्वारा संसाधन या अन्य प्रतिबंधों का लगाया जाना, जो साई को अपने अधिदेश का अनुपालन करने पर रोक लगाएगा, विधायिका को साई द्वारा रिपोर्ट के लिए एक उपयुक्त मामला होगा।
- नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 में प्रावधान किए गए विधिक अधिदेश में लेखापरीक्षित संस्थाओं और उनके प्रचालनों से सुसंगत सभी परिसरों और अभिलेखों तक नि म ले प और उसके लेखापरीक्षकों के लिए पूरी तथा बेरोकटोक पहुंच का प्रावधान है और व्यक्तियों या उसके अधिकार वाली संस्थाओं से सुसंगत सूचना प्राप्त करने के लिए नि म ले प को पर्याप्त शक्तियों का प्रावधान है।

- विधिक प्रावधान और स्वीकृत परम्परा द्वारा कार्यकारिणी साई ' द्वारा सुग्राही सूचना के प्रति पहुंच की अनुमति देती है जो साई के उत्तरदायित्वों के निर्षहन के लिए आवश्यक और सुसंगत होती है।
- इस दृष्टि से कि साई न केवल कार्यकारिणी से अलग स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करे बल्कि ऐसा करते हुए भी प्रतीत हो यह महत्वपूर्ण है कि उसके अधिदेश और उसकी पृथक प्रास्थिति के बारे में समुदाय को भलीभांति जानकारी हो। ज्योंही उपयुक्त अवसर प्राप्त हों त्योंही साई को इस सम्बन्ध में शैक्षिक योगदान करना चाहिए।
- साई की कार्यात्मक स्वतंत्रता में औद्योगिक सम्बन्धों, कार्मिक प्रबन्धन, सम्पत्ति प्रबन्धन या उपस्कर और भंडारों की सामान्य खरीद जैसे मामलों में साई के प्रशासन के सम्बन्ध में कार्यकारी संस्थाओं के साथ व्यवस्थाओं को रोकने की आवश्कता नहीं है जबकि कार्यकारी संस्थाएं ऐसे निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होनी चाहिए जिनसे अपने अधिदेश के निर्वहन में साई की स्वतंत्रता को जोखिम में डाल दिया जाए।
- साई लेखापरीक्षित संस्थाओं से अलग होना चाहिए। तथापि साई ' अधीन लेखापरीक्षा, विभाग उनके साथ शांतिपूर्वक सम्बन्ध बनाए रखने के विचार से अपने योगदान तथा कार्यों की जानकारी लेखापरीक्षित संस्थाओं के बीच प्रदान करने की मांग करता है। अच्छे सम्बन्ध बेरोकटोक तथा स्पष्टतया सूचना प्राप्त करने और परस्पर सम्मान तथा सूझबूझ के वातारण में चर्चा करने के लिए साई की सहायता कर सकते हैं। इस भावना से साई अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए उन सुधारों के साथ सम्बद्ध होते हुए सहमत हो सकता है जिनकी लोक लेखा या वित्त विधान जैसे क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा योजना बनाई जाती है या अपनी सक्षमता या अपने प्राधिकार को प्रभावित करने वाली मसौदा विधि या नियमों को तैयार करने के बारे में

परामर्श किए जाने के लिए सहमत हो सकता है। तथापि इन मामलों में यह प्रशासनिक प्रबन्धन में साई के हस्तक्षेप का एक मामला नहीं है बल्कि उनकी व्यवस्था पर उनको तकनीकी सहायता देकर या साई का वित्तीय प्रबन्धन अनुभव प्रदान करके कतिपय प्रशासनिक सेवाओं के साथ सहयोग करने का एक मामला है।

- निजी क्षेत्र की लेखापरीक्षा की तुलना में जहां लेखापरीक्षक का सहमत कार्य एक आबंध पत्र में निर्दिष्ट किया जाता है वहाँ लेखापरीक्षित संस्था साई के साथ एक ग्राहक के सम्बन्ध में नहीं होती। लेखापरीक्षा मत, निष्कर्ष और सिफारिशें तैयार करने में प्रबन्धन के विचारों को ध्यान में रखते हुए साई को अपने अधिदेश का बेरोकटोक तथा निष्पक्ष रूप से निर्वहन करना होता है परन्तु की गयी लेखापरीक्षा के क्षेत्र या स्वरूप के लिए लेखापरीक्षित संस्था के प्रबन्धन के प्रति इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता।
- साई को एक लेखापरीक्षित संस्था के प्रबन्धन या प्रचालनों में भाग नहीं लेना चाहिए। लेखापरीक्षा कार्मिक को प्रबन्ध समितियों के सदस्य नहीं बनना चाहिए और यदि लेखापरीक्षा सलाह दी जानी होती “ तो इसे लेखापरीक्षा सलाह या सिफारिश के रूप में सूचित किया जाना चाहिए ओर उसी रूप में स्पष्टतया स्वीकार किया जाना चाहिए।
- एक लेखापरीक्षित संस्था के प्रबन्धन के साथ नज़दीकी सम्बद्ध जैसकि सामाजिक, साइर्य या अन्य सम्बन्ध जो विषयनिष्ठता को कम करने के लिए सहायक हो, वाले किसी साई कार्मिक को उस संस्था की लेखापरीक्षा करना नहीं सौंपा जाना चाहिए ।
- आई के कार्मिक को एक लेखापरीक्षित संस्था के कार्मिक को उनके कर्तव्यों के प्रति अनुदेश देने में शामिल नहीं होना चाहिए। उन दृष्टिंतों में जहां साई अपने प्रचालनों, कार्यक्रमों और कार्यकलापों की चालू समीक्षा को सुकर करने के प्रयोजनार्थ लेखापरीक्षा संस्था में एक

निवासी कार्यालय स्थापित करने का निर्णय करता है वहां साई के कार्मिक को ऐसी किसी निर्णय करने वाली या अनुमोदन वाली प्रक्रिया में नहीं लगाया जाना चाहिए जिसे लेखापरीक्षिती के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व माना जाता है।

- साई अकादमिक संस्थाओं के साथ सहयोग कर सकता है और व्यावसायिक निकायों के साथ औपचारिक सम्बन्ध बना सकता है बशर्ते कि सम्बन्धों से कुल मिलाकर व्यवसाय के अनुभवी सदस्यों की सलाह का लाभ उठाने के लिए उसकी स्वतंत्रता तथा विषयनिष्ठता पर रोक नहीं लगायी जाती।

3. सक्षमता

3.1 लेखापरीक्षक तथा साई के पास उपेक्षित सक्षमता होनी चाहिए

3.2 निम्नलिखित पैराग्राफ एक लेखापरीक्षण मानक के रूप में सक्षमता का उल्लेख करते हैं:

3.2.1 साई का अधिदेश सामान्यतया लेखापरीक्षा मत, निष्कर्षों और सिफारिशों को तैयार करने और रिपोर्ट करने का कार्यभार सौंपता है।

3.2.2 लेखापरीक्षा विभाग में चर्चाएं मत और निर्णयों की विष्यानिष्ठता और प्राधिकार को प्रोन्नत करती हैं।

3.2.3 इस प्रकार चूंकि साई द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कर्तव्य तथा कार्यप्रणालियों और कार्यविधियों के प्रति लागू करने चाहिए। इसके

लिए यह अनिवार्य है कि इसके मानकों, आयोजना, कार्यविधियों, कार्यप्रणालियों और पर्यवेक्षण के प्रति कार्मिक या बाह्य विशेषज्ञों द्वारा पूरे आसंजन से कम द्वारा अक्षुण्ण लेखापरीक्षा रिपोर्टों के लिए इसके उत्तरदायित्वों का प्रभावी उपयोग करने के लिए कर्यविधियों का प्रतिपादन करें।

3.2.4 लेखापरीक्षा विभाग को लेखापरीक्षा अधिदेश के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक निपुणता तथा अनुभव के अधिकार की आवश्यकता है। उस अधिदेश के अन्तर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा का स्वरूप कुछ भी हो परन्तु जिन व्यक्तियों की शिक्षा तथा अनुभव लेखापरीक्षा कार्य के स्वरूप, क्षेत्र तथा जटिलताओं के अनुरूप हो उनको लेखापरीक्षा कार्य करना चाहिए। लेखापरीक्षा विभाग को अद्यतन लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा शामिल है।

3.2.5 चूंकि लेखापरीक्षा अधिदेश का स्वरूप व्यापक तथा विवेकाधीन है और की जाने वाली लेखापरीक्षाओं की बारंबारता ओर उपलब्ध करायी जाने वाली रिपोर्टों के स्वरूप में साई का विवेक उपलब्ध है इसलिए लेखापरीक्षा विभाग में प्रत्याशित प्रबन्धन का उच्च स्तर है।

4. उचित सावधानी

4.1 लेखापरीक्षक तथा साई के लिए सामान्य मानकों में साक्ष्य के विनिर्दिष्ट करने, एकत्र करने और मूल्यांकन करने में और परिणामों, निष्कर्षों और सिफारिशों में उचित सावधानी शामिल है।

4.2 निम्नलिखित पैराग्राफों में एक लेखापरीक्षण मानक के रूप में उचित सावधानी का उल्लेख किया गया है :

- साई को संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों की इसकी लेखापरीक्षा में विषयपरक होना चाहिए और ऐसा होता प्रतीत होना चाहिए। यह अपने मूल्यांकनों में और लेखापरीक्षा के परिणामों की अपनी रिपोर्टिंग में उचित होना चाहिए।

4.2.2 तकनीकी निपुणता का निष्पादन और उपयोग एक विशेष लेखापरीक्षा की जटिलताओं के प्रति उपयुक्त गुणता का होना चाहिए। लेखापरीक्षकों को उन स्थितियों, नियंत्रण सम्बन्धी कमियों, अभिलेख रखने में अपर्याप्तताओं, गलतियों या अप्रायिक संव्यवहारों या परिणामों के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है जो कपटपूर्ण, अनुचित या गैर कानूनी व्यय, अनधिकृत प्रचालनों, अपव्यय, अदक्षता या सत्यनिष्ठा के अभाव के सूचक हो सकते थे।

4.2.3 जहां एक अधिकृत या स्वीकृत संस्था लोक उद्यमों द्वारा लेखांकन और रिपोर्टिंग के लिए मानक या दिशानिर्देश नियत करती है वहां साई उसकी जांच के दौरान ऐसे दिशानिर्देशों का उपयोग कर सकता है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों की लेखापरीक्षा करते समय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों और मानक लेखापरीक्षा पद्धतियों को साई द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

- यदि साई परामर्शदाता के रूप में बाह्य विशेषज्ञ नियुक्त करता है तो उसे अन्तर्गस्त विशेष कार्यों के लिए परामर्शदाताओं की सक्षमता और

अभिवृत्ति से अपने को आशास्त कराने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यह मानक वहां भी लागू होता है जहां साई के पास बाहर से लेखापरीक्षक ठेके पर लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि आयोजना, लेखापरीक्षा क्षेत्र, लेखापरीक्षा करने और रिपोर्टिंग करने की अवधारण करने के लिए लेखापरीक्षा ठेकों में साई के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल हैं।

- क्या साई को अपने कार्यों के निष्पादन में साई के लिए बाह्य विशेषज्ञों से सलाह लेने की आवश्यकता है, ऐसी व्यवस्थाओं में उचित सावधानी बरतने के लिए मानकों के निष्पादन की गुणता के रखरखाव पर भी प्रभाव पड़ता है। एक बाह्य विशेषज्ञ से सलाह प्राप्त करने से लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा कार्य पर तैयार किए गए मतों या प्राप्त हुए निष्कर्षों के लिए उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होता।
- जब लेखापरीक्षा विभाग अन्य लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) से कार्य कराता है तब इस बात को आशासित करने के लिए इसे पर्याप्त कार्यविधियों को लागू करना चाहिए कि अन्य लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) ने उचित सावधानी बरती है और सुसंगत लेखापरीक्षण मानकों का अनुपालन किया है और उस कार्य की गुणता के प्रति स्वयं को संतुष्ट करने के लिए वह अन्य लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) के कार्य की समीक्ष कर सकता है।
- लेखापरीक्षक के कार्य के दौरान अभिगृहीत एक लेखापरीक्षित संस्था के बारे में सूचना का लेखापरीक्षा के क्षेत्र तथा लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्यों के अनुसार एक मत तैयार करने या रिपोर्टिंग करने से बाहर प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह अनिवार्य

है कि लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा मामलों और इसके लेखापरीक्षा कार्य से उद्भूत सूचना के सम्बन्ध में गोपनीयता रखता है। तथापि साई को विधि के विरुद्ध अपराधों के बारे में उचित अभियोजना प्राधिकारियों को रिपोर्ट करनी चाहिए।

5. गुणता आशासन समीक्षा

5.1 साई की संगत एक उपयुक्त गुणता आशासन प्रणाली होनी चाहिए।

- निम्नलिखित पैराग्राफों में एक लेखापरीक्षण मानक के रूप में गुणता आशासन समीक्षाओं का उल्लेख किया गया है :
- लेखापरीक्षा विभाग द्वारा कार्य के उच्च मानक को सुनिश्चित करने के महत्व के कारण इसे लेखापरीक्षा निष्पादन में सुधार करने और परिणामों के लिए गुणता आशासन कार्यक्रमों के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों से उद्भूत होने वाले लाभों से इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध होने वाले उपयुक्त संसाधनों के लिए इसे अनिवार्य बनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि इन संसाधनों का उपयोग प्राप्त किए जाने वाले लाभों के प्रति समान होना चाहिए।

5.2.2 साई को निम्न के प्रति प्रणालियां और कार्यविधियां स्थापित करनी चाहिए :

- इस बात की पुष्टि करना कि आंतरिक गुणता आशासन प्रक्रियाएं संतोषजनक ढंग से प्रचालित हुई हैं ;
- लेखापरीक्षा रिपोर्ट की गुणता सुनिश्चित करना ; और
- सुधार करना और कमियों की पुनरावृत्ति से बचना।

5.2.3 निष्पादन की गुणता को सुनिश्चित करने के एक आगामी उपाय के रूप में, जो कि सम्बन्धित लेखापरीक्षा के लिए लाईन उत्तरदायित्व वाले कार्मिक द्वारा लेखापरीक्षा कार्यकलाप की समीक्षा के अतिरिक्त हो, लेखापरीक्षा विभागों के लिए यह वांछनीय है कि वे अपनी गुणता आशासन व्यवस्थाएं स्थापित करें। वह है आंतरिक गुणता आशासन व्यवस्थाओं के परिणामों और साई के वरिष्ठ स्तर के प्रबन्धन को आवश्यक रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में रिपोर्टिंग करने की सुसंगत लेखापरीक्षा लाईन प्रबन्धन के साथ परामर्श से उन लेखापरीक्षाओं में न लगे उपयुक्त रूपसे योग्यता प्राप्त साई कार्मिक द्वारा गहराई से समीक्षा की जा सकती है।

5.2.4 लेखापरीक्षा संस्थाओं के लिए यह उपयुक्त है कि वे अपने प्रचालनों के प्रभावी प्रबन्धन को प्राप्त करने और इसके निष्पादन की गुणता को कायम रखने के लिए लेखापरीक्षा विभाग की सहायता करने के लिए एक व्यापक चार्टर वाले इसके अपने आंतरिक लेखापरीक्षक कार्य संस्थापित कें।

5.2.5 लेखापरीक्षा विभाग द्वारा किए गए कार्य की गुणता में आंतरिक समीक्षा को सुधङ्करके और इसके कार्य का स्वतंत्र मूल्यांकन करके वृद्धि की जा सकती है।

6. लेखापरीक्षा संस्थाओं के लिए अन्य सामान्य मानक

6.1 साई को उपयुक्त योग्यता वाले कार्मिक की भर्ती करने और उनको व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए नीतियां और कार्य विधियों अपनानी चाहिए।

6.1.1 साई के कार्मिक को उपयुक्त प्रशिक्षण तथा अनुभव से सजिजत होना चाहिए। साई को संगठन में प्रत्येक स्तर पर लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए निम्नतम प्रशिक्षण आवश्यकताओं को स्थापित करना चाहिए और नियमित रूप से इनकी समीक्षा करनी चाहिए।

6.2 साई को साई के कर्मचारियों का विकास करने तथा उनको प्रशिक्षित करने के लिए नीतियां तथा कार्य विधियाँ अपनानी चाहिए ताकि वे अपने कार्य को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में उनको समर्थ बना सकें तथा लेखापरीक्षकों और अन्य स्टाफ की प्रोन्नति के लिए आधार निर्धारित कर सकें।

6.2.1 निम्नलिखित पैराग्राफों में एक लेखापरीक्षण मानक के रूप में प्रशिक्षण और विकास का उल्लेख किया गया है

6.2.2 साई को अपने कार्मिक के व्यावसायिक विकास को जारी रखने के लिए प्रावधान करने के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिएं जिसमें इन हाऊस ट्रेनिंग और बाह्य पाठ्यक्रमों में उपस्थिति को बढ़ावा देने का प्रावधान, यथा उपयुक्त शामिल हो।

6.2.3 साई को अपने कार्मिक की व्यावसायिक विकास आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिए।

6.2.4 साई को लेखापरीक्षकों और साई के अन्य स्टाफ की प्रोन्नति के लिए शैक्षिक योग्यताओं सहित मापदंड स्थापित करना चाहिए तथा नियमित रूप से समीक्षा करनी चाहिए।

6.2.5 साई को इसके द्वारा की गयी लेखापरीक्षा की रेज को लागू लेखापरीक्षा तकनीकों और कार्यप्रणालियों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा स्टाफ के

व्यावसायिक विकास के लिए नीतियां तथा कार्यविधियाँ भी स्थापित करनी चाहिए और बनाए रखनी चाहिए।

6.2.6 साई के कार्मिक को सरकारी वातावरण की अच्छी जानकारी होनी चाहिए जिसमें विधायिका की भूमिका, कार्यकारिणी के प्रचालनों को शासित करने वाली विधिक तथा सांस्थानिक व्यवस्थाएं और लोक उद्यमों के चार्टर जैसे ऐसे पहलू शामिल हैं। उसी प्रकार प्रशीक्षित लेखापरीक्षा स्टाफ के पास साई के लेखापरीक्षा मानकों, नीतियों, कार्यविधियों और पद्धतियों की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए।

6.2.7 वित्तीय प्रणालियों, लेखांकन अभिलेखों और वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में लेखांकन तथा सम्बन्धित शाखाओं में प्रशिक्षण और लेखापरीक्षित संस्था की जवाबदेही को प्रभावित करने वाले लागू विधान तथा कार्यकारी आदेशों की जानकारी अपेक्षित होती है। इसके अतिरिक्त निष्पादन लेखापरीक्षा करने में उपरोक्त के अतिरिक्त प्रशासन, प्रबन्धन, अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान जैसे ऐसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण अपेक्षित हो सकता है।

6.2.8 साई को अपने कार्य से सुसंगत एक व्यावसायिक निकाय का सदस्य बनने और उस निकाय के कार्यकलापों में भाग लेने के लिए अपर्वे कार्मिक को प्रोत्साहित करना चाहिए।

6.3 साई को लेखापरीक्षा करने से सम्बन्धित नियमपुस्तकों और अन्य लिखित मार्गदर्शन तथा अनुदेश तैयार करने के लिए नीतियां और कार्यविधियाँ अपनानी चाहिएं।

6.3.1 निम्नलिखित पैराग्राफ मे एक लेखापरीक्षण मानक के रूप में लिखित

6.3.2 मार्गदर्शन वाले परिपत्रों द्वारा साई के स्टाफ को संसूचना देना तथा साई की नीतियों, मानकों और पद्धतियों को नियत करते हुए एक अद्यतन लेखापरीक्षा नियमपुस्तक का रखरखाव करना लेखापरीक्षा की गुणता बनाए

6.4 साई साई में उपलब्ध निपुणताओं और अनुभव में सहायता प्रदान करने के लिए नीतियां और कार्य विधियाँ अपनानी चाहिए और उन निपुणताओं का पता लगाना चाहिए जिनका अभाव है; लेखापरीक्षण कार्यों के लिए निपुणताओं का अच्छा वितरण करना चाहिए और लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्ति उपलब्ध कराने चाहिए और उचित सावधानी तथा दिलचस्पी से अपेक्षित स्तर पर अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उचित आयोजना और पर्यवेक्षण करना चाहिए।

6.4.1 निम्नलिखित पैराग्राफों में एक लेखापरीक्षण मानक के रूप में निपुणताओं के उपयोग का उल्लेख किया गया है।

6.4.2 प्रत्येक लेखापरीक्षा करने के लिए अपेक्षित संसाधनों का निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है ताकि उपयुक्त रूप से निपुणता प्राप्त स्टाफ को कार्य सौंपा जा सके और लेखापरीक्षा के लिए लगाए जाने वाले स्टाफ संसाधनों पर नियंत्रण रखा जा सके।

6.4.3 सीमा, जिस तक अकादमिक उपलब्धियां विशेषतया लेखापरीक्षा कार्य तक सम्बद्ध होनी चाहिए, में किए गए लेखापरीक्षण के प्रकार के साथ अन्तर है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक लेखापरीक्षक के पास लेखापरीक्षा अधिदेश के सभी पहलुओं में सक्षमता होती है। तथापि लेखापरीक्षा कार्यों के प्रति कार्मिक के लगाए जाने को शामिल करने वाली नीतियों और

कार्यविधियों का उद्देश्य उन कार्मिक, का परिनियोजना होना चाहिए जिनके पास लेखापरीक्षा कार्य के स्वरूप द्वारा अपेक्षित लेखापरीक्षण निपुणताएं हों ताकि एक विशेष लेखापरीक्षा पर लगे दल के पास एकत्रित रूप में आवश्यक निपुणताएं और विशेषज्ञता हो।

6.4.4 बाह्य स्रोतों से विशेष निपुणताएं अभिगृहीत करने का साई के पास अधिकार होना चाहिए यदि लेखापरीक्षा सफलतापूर्वक करने में इस बात के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो कि लेखापरीक्षा परिणाम, निष्कर्ष और सिफारिशें अनुबोधक हैं और सुदृढ़ रूप से आधारित हैं और लेखापरीक्षा की विषय वस्तु की पर्याप्त जानकारी देती हैं। लेखापरीक्षा संस्था को अपनी विशेष परिस्थितियों में यह अनुमान लगाना होता है कि किस सीमा तक बाह्य विशेषज्ञों के नियोजन के प्रति इसकी आवश्यकताएं इन हाऊस विशेषज्ञ द्वारा अधिक से अधिक पूरी की जाती हैं।

6.4.5 लेखापरीक्षा के पर्यवेक्षण को शासित करने वाली नीतियां और कार्यविधियों सक्षमता के उपयुक्त स्तर पर साई के योगदान के निष्पादन में
परीक्षा की
उन लेखापरीक्षकों द्वारा योजना बनाई जाती है और पर्यवेक्षण किया जाता है
‘हैं और

6.4.6 जहां साई के अधिदेश में उन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा शामिल है जिनमें पूर्णतः सरकार की कार्यकारी शाखा को कवर किया गया है वहां
एजेंसी समन्वय व्यवस्थाओं और नियंत्रण तंत्र का समन्वयित मूल्यांकन
‘खांकन और

नियंत्रण प्रणालियों की जानकारी और इस प्रकार की लेखापरीक्षा के लिए साईं द्वारा लागू लेखापरीक्षण तकनीकों में पर्याप्त विशेषज्ञता अपेक्षित होगी।

6.4.7 जब तक कि साईं प्रत्येक लेखापरीक्षित संस्था के पूरे प्रचालनों को कवर करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा सहित सभी सुसंगत लेखापरीक्षाएं एक उचित समय सीमा के अन्दर करने के लिए सजिज्ञत न हो तब तक लेखापरीक्षा कार्यकलापों की रेज का अवधारण करने के लिए मापदंड की आवश्यकता है जिसमें प्रत्येक लेखापरीक्षित संस्था द्वारा सार्वजनिक जवाबदेही दायित्वों के निष्पादनके सम्बन्ध में लेखापरीक्षा अवधि या चक्र के अन्दर अधिकतम व्यवहार्य आश्वासन दिए जाएंगे।

6.4.8 विभिन्न लेखापरीक्षा कार्यकलापों में इसके संसाधनों के आवंटन को अवधारित करने में साईं को किसी लेखापरीक्षा कार्यों को वरीयता देनी चाहिए जिसे विधि द्वारा एक निर्दिष्ट समयसीमा के अन्दर पूरा किया जाना चाहिए। नीति सम्बन्धी आयोजना के प्रति सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि ली जाने वाली विवेकाधीन लेखापरीक्षा के लिए प्राथमिकता के उपयुक्त क्रम का पता लगाया जा सके।

6.4.9 अधिदेश के बाहर निष्पादन की गुणवत्ता बनाए रखने के अनुरूप वरीयताएं देने में उपलब्ध सूचना के मद्देनज़र साईं का अनुमान लगाना अन्तर्ग्रह्य स्तर होता है। लेखापरीक्षित संस्थाओं की संरचना, कार्यों और प्रचालनों से सम्बन्धित डाटा के एक पोर्टफोलियो के रखरखाव से महत्वपूर्णता तथा सुमेयता के क्षेत्रों तथा प्रशासन में सुधारों के लिए संभावित होवे वाले क्षेत्रों का पता लगाने में साईं को मदद मिलेगी।

6.4.10 प्रत्येक लेखापरीक्षा करने से पहले साईं में नामज़द कार्िक को इसके प्रारम्भ करने के लिए उचित प्राधिकार देना चाहिए। इस प्राधिकार में

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, इसके क्षेत्र और फोकस, निपुणता तथा प्रमात्रा के रूप में लेखापरीक्षा के प्रति लगाए जाने वाले संसाधनों, उपयुक्त पाठ्टों पर प्रगति

किया जाना है उस तारीख को एक स्पष्ट विवरण शामिल होना चाहिए और लेखापरीक्षा की एक रिपोर्ट दी जानी होती है।

6.5 आचार महत्व वाले मानक

ये मानक सभी लेखापरीक्षकों, साई के अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारियों और साई के लिए तथा उसकी ओर से कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। इस बात को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व साई का है कि इसके सभी लेखापरीक्षकों को भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार नियमावली में दिए गए मूल्यों और सिद्धांतों की जानकारी है तथा वे तदनुसार कार्य करते हैं। निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानकों का आचार महत्व है

- लेखापरीक्षक और साई को स्वतंत्र होना चाहिए और उन मामलों पर लेखापरीक्षित संस्था के साथ हित के विवाद से बचना चाहिए जिनसे उनकी स्वतंत्रता पर मूर्तरूप में रोक लगायी जाए।
- लेखापरीक्षक तथा साई के पास अपेक्षित सक्षमता होनी चाहिए।
- लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षण मानकों का अनुपालन करने में उचित सावधानी तथा दिलचस्पी लेनी चाहिए।
- लेखापरीक्षक को सदैव पूर्णतः सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए।
- लेखापरीक्षकों को तीसरे दलों को मौखिक रूप से या लिखित रूप में लेखापरीक्षण प्रक्रिया में प्राप्त सूचना नहीं बतानी चाहिए।

